न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 26/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00062

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मीठालाल परिहार पुत्र रकबाराम जाति मेघवाल निवासी सिवास तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. जेठाराम पुत्र तुलसाराम जाति कलाल निवासी सिवास तहसील देसूरी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत सिवास पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन आगरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सिवास द्वारा मिसल संख्या निल, प्रस्ताव संख्या 03(xxi) दिनांक 10.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 14.01.2013 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी श्री मेघवाल समाज विकास समिति सिवास का अध्यक्ष है तथा जैर निगरानी पट्टा रामलाल के पक्ष में दिनांक 14.01.2013 को जारी किया गया था, जिसे रामलाल ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख 30.10.2013 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बेचान कर दिया। ग्राम सिवास के खसरा संख्या 898/214 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि का खातेदार पूरण कंवर ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया, जिसका माफिक प्लॉन अनुसार प्लॉट काटे गये। उस प्लॉन में से भूखण्ड संख्या 5 व 6 प्रत्येक का नाप 25 बाई 50 दोनों भूखण्डों का कुल नाप 2500 वर्गफीट को जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 09.11.2012 को प्रार्थी ने क्रय किया। उक्त भूखण्डों के पूर्व में भूखण्ड संख्या 4, पश्चिम दिशा में भूखण्ड संख्या 7 व 8 स्थित है, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। जैर निगरानी पट्टे के दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 5 व 6 तथा प्रार्थी के समाज के भूखण्ड संख्या 5 व 6 के उत्तर में सिवास से पिलोवनी जाने की मुख्य सड़क स्थित है। सड़क व प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 5 व 6 के बीच में स्थित भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। सार्वजनिक सड़क अथवा रास्ते की जो कि सूविधा क्षेत्र के लिये होती है, उसका कोई भी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। सम्परिवर्तन के प्लॉन अनुसार उक्त भूमि सुविधाक्षेत्र में स्थित है, उक्त पट्टे में न तो भूमि का कोई नक्शा, न ही पड़ौस, न ही भूमि का क्षेत्रफल दर्शाया गया है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ही उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष न तो आवेदन पेश किया, न ही प्रस्तावित भूमि का नक्शा बनाया गया, न ही मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी मेरे भूखण्ड को रास्ते की भूमि में बता रहे है जबकि उक्त भूमि उक्त प्लॉन के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में स्थित हैं। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से नियमानुसार अनुमति लेकर प्रश्नगत भूमि पर मकान का निर्माण करवाया है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष विधिनुसार प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर प्रश्गनत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत सिवास द्वारा मिसल संख्या निल, प्रस्ताव संख्या 03(xxi) दिनांक 10.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 14.01.2013 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से भिन्न किसी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण भूमि के सुविधाक्षेत्र का प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख, पक्षकारों के तर्क का सम्यक् परीक्षण एवं विश्लेषण करने पर यह तथ्य स्पष्ट एवं स्थापित होता है कि ग्राम सिवास की खसरा संख्या 898/214 रकबा 0.2200 हैक्टेयर मूलतः खातेदारी भूमि थी, जिसमें से 2000 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण तत्कालीन खातेदार श्रीमती पूरण कंवर द्वारा दिनांक 27.02.2012 को कराया गया। उक्त रूपान्तरित भूमि में से 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में आवासीय इकाईयों का विकास किया गया तथा प्लॉट संख्या 5 व 6 का विधिवत् पंजीबद्ध विक्रय दिनांक 09.11.2012 के द्वारा बेचाण मेघवाल समाज विकास समिति, सिवास के पक्ष में किया गया। विक्रय विलेख एवं उसके संलग्न नक्शे के अनुसार प्लॉट संख्या 5 व 6 के दक्षिण दिशा में सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि छोड़ी गई थी, जिसमें रास्ते का भी प्रावधान था। उक्त खरीदसुदा प्लॉट के पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में रास्ता व दरवाजा, पूर्व दिशा में प्लॉट नम्बर 4 एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट नम्बर 7 व 8 स्थित है। इस प्रकार सिविल न्यायालय देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 18/12 मेघवाल विकास समिति सिवास बनाम जेठाराम में प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 26.07.2018 में भी यह तथ्य पुष्ट होता है कि मेघवाल विकास समिति के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में जैर निगरानी भूमि स्थित है तथा उसके आगे सिवास से पिलोवनी जाने वाला मार्ग विद्यमान है जबकि विक्रय विलेख के अनुसार प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में रास्ता व दरवाजा स्थित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विक्रय विलेख में वर्णित दक्षिण में रास्ता वास्तव में सुविधा क्षेत्र के पश्चात् स्थित मार्ग को इंगित करता है तथा मध्य में छोड़ी गई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सुविधा क्षेत्र की भूमि अलग अस्तित्व रखती है। अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा प्लॉट संख्या 5 व 6 के दक्षिण दिशा में स्थित उसी भूमि पर जारी किया गया है, जो मूलतः रूपान्तरित खातेदारी भूमि का भाग है तथा जिसे सुविधा क्षेत्र के रूप में आरक्षित रखा गया था। ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से भिन्न निजी खातेदारी से रूपान्तरित भूमि के भाग पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। जहाँ तक ग्राम पंचायत की अधिकारिता का प्रश्न है, यह विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा खातेदारी कृषि भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर सम्परिवर्तित आवासीय भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो नियमों के अनुसार अमान्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 29.08.2019 के अनुसार प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, साथ ही आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर अनुसार बैठक दिनांक 05.01.2013 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 12.01.2013 को आहूत की गई अर्थात् ग्राम पंचायत में दिनांक 10.01.2013 को कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई। साथ ही ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की दिनांक 10.01.2013 में प्रस्ताव संख्या 03(xxi) अंकित नहीं होकर केवल प्रस्ताव संख्या 3 ही अंकित है और उक्त प्रस्ताव में कही पर भी प्रश्नगत पट्टे का हवाला नहीं दिया हुआ है तथा पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जारी किया गया हो ऐसी भी मोहर पट्टे पर अंकित नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सिवास द्वारा मिसल संख्या निल, प्रस्ताव संख्या 03(xxi) दिनांक 10.01.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 14.01.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)